GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)

NOTIFICATION
Jaipur, February 19, 2025

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999) and in supersession of this department's notification number F.2(6)FD/Tax/03-43 dated 30.08.2007, F.2(6)FD/Tax/03-37 dated 05.08.2008 and all other notifications issued in this regard, the State Government being satisfied that it is necessary to do so in the public interest, hereby orders that the stamp duty chargeable on the instrument of transfer of developed land allotted in favour of khatedar or land owner in lieu of acquisition of his land, executed by any Government Department, Government company or corporation or society of the Rajasthan Government or any development authority, municipality or urban improvement trust constituted or established by or under any Act enacted by the Rajasthan State Legislature, shall be remitted. However, this exemption shall not be allowed to assignee or transferee of such person whose land is acquired.

[No. F.4(2)FD/Tax/2025-107]
By order of the Governor,

(Dr. Khushaal Yadav)
Joint Secretary to the Government.

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 19, 2025

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 (1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 9 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक प.2(6)वित्त/कर/03-43 दिनांक 30.08.2007, प.2(6)वित्त/कर/03-37 दिनांक 05.08.2008 और इस संबंध में जारी की गयी अन्य समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार, यह समाधान होने पर कि लोकहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है, इसके द्वारा आदेश देती है कि राजस्थान सरकार के किसी सरकारी विभाग, सरकारी कंपनी या निगम या सोसाइटी या राजस्थान राज्य विधान-मंडल द्वारा अधिनियमित किये गये किसी अधिनियम के द्वारा या अधीन गठित या स्थापित किसी विकास प्राधिकरण, नगरपालिका या नगर सुधार न्यास द्वारा खातेदार या भू-स्वामी के पक्ष में, उसकी भूमि के अर्जन के बदले में, आबंटित विकसित भूमि के अन्तरण की निष्पादित लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का परिहार किया जायेगा। तथापि, यह छूट ऐसे व्यक्ति, जिसकी भूमि अर्जित की गयी है, के समनुदेशिती या अंतरिती को अनुज्ञात नहीं की जायेगी।

[प.4(2)वित्त/कर/2025-107]

राज्यपाल के आदेश से,

(डॉ॰ खुशाल यादव)

संयुक्त शासन सचिव